तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/8/15	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/... हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...8/9/15.... ...को पेश हों।
8/9/23	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...20/11/23. ...को पेश हों।
20/11/23	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..23/1/24 ...को पेश हों।
23/1/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.....19/2/24...को पेश हों।
19/2/24	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/3/24 को पेश हों।
12/3/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.....8/4/24.....को पेश हों।
8/4/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.....16/5/24 ...को पेश हों।
16/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र 212 पर बहस सुनी गई।

मु. भ.-2014-1?-10,00,000-2001.

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ____________ मुकाम ____________

____________ बनाम ____________

मुकदमा ____________ नं. ____________ सन् ____________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील प्रार्थी ने आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कृषि आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 2.76 है0 व खसरा नम्बर 166 रकबा 2.78 है0 वाके ग्राम दीपपुरा तहसील व जिला सीकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। व अप्रार्थीगण विवादित आराजी में किसी भी प्रकार की दखलअन्दाजी करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने से बाज रहे हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु प्रार्थनीय है एवं मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ है। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। तथा खातेदार काश्तकार के प्रति किसी प्रकार का अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जा सकता अतः आवेदन 212 खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रसंगत प्रकरण में मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ है। अतः दौरान मूल वाद के निस्तारण तक स्थायी निषेधाज्ञा में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

यह फैसला आज दिनांक 16/5/24 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर